



2026:AHC: 19411-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 1324/2017

तरीकत

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता  | : ए.सी. श्रीवास्तव, नज़रुल इस्लाम जाफ़री, नज़रुल इस्लाम जाफ़री (वरिष्ठ अधिवक्ता), संजय कुमार सिंह |
| प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता | : शासकीय अधिवक्ता                                                                                 |

---

**न्यायालय संख्या-48**

**माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह**

**माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I**

1- कारागार अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ के पत्र दिनांक 20.07.2023 के अनुसार, एकमात्र अपीलार्थी-तरीकत पुत्र शफाकत अली की मृत्यु पहले ही दिनांक 22.08.2018 को अपराह्न 03:00 बजे उपचार के दौरान अभिरक्षा में हो गई है।

2- संबंधित कारागार अधीक्षक के उपरोक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आपराधिक अपील उपशमित की जाती है।

(न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

28 जनवरी, 2026

सौरभ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।